UPUN010033292026

Bail Application/1405/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, उन्नाव

1. मनीष काछी पुत्र श्री केदारनाथ
निवासी ग्राम दिरगजखेड़ा मजरा अकोहरी थाना मौरावां जिला उन्नाव।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल महोदय उन्नाव।
2. रीतू पत्नी श्रीराम पासी निवासी ग्राम दिरगजखेड़ा मजरा अकोहरी थाना मौरावां जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण

परिवाद सं.- 114/2022
धारा- 323,504,506,354 भा.दं.सं.
धारा- 3(1)द ध एस.सी.एस.टी.एक्ट
थाना मौरावां, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक- 04.07.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त मनीष की ओर से परिवाद सं.- 114/2022, धारा- 323,504,506,354 भा.दं.सं., धारा- 3(1)द ध एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना मौरावां जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दाखिल शपथ-पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपनी बन्द नाली खोलने गयी थी पड़ोस के मनीष काक्षी व रामनाथ काक्षी ने नाली बन्द कर दी थी प्रार्थिनी को उपरोक्त लोगो ने नाली खोलने से मना किया तो प्रार्थी को लात घूसों व डण्डो से मारने पीटने लगे मनीष काछी ने प्रार्थिनी के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और प्रार्थिनी के ऊपर चढ़कर वच्छस्थल दबाने लगा। लात घूसों से मारने लगा इतने में ही प्रार्थिनी के ऊपर रामनाथ काछी ने लात घूसों से मार किया जिससे प्रार्थिनी के हाथ में चोट आयी उपरोक्त लोग जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि अगर साली पासिन कहीं पर शिकायत किया तो जान से मार देगें। उपरोक्त लोग गुण्डा किस्म के लोग है थाने में काफी पहुंच है प्रार्थिनी ने उसके बाद 112 नम्बर डायल किया पुलिस वालों ने प्रार्थिनी का चिकित्सीय परीक्षण मौरावां सरकारी अस्पताल में कराया।प्रार्थिनी की थाने पर पहुंच है।

प्रार्थिनी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में षड़यंत्रपूर्ण ढंग से झूठा व फर्जी फंसाया गया है। उपरोक्त परिवाद व परिवादिनी के बयान में घटना का दिनांक व समय नही दिया गया है जिससे पूर्णरूप से घटना भ्रामक है। उक्त परिवाद काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही दिया

गया है। सच यह है कि प्रार्थीं के खेत के आने-जाने वाले रास्ते को परिवादिनी व उसके पति ने रास्ता अवरूद्ध कर दिया था जिसको खोलने के लिये प्रार्थीं ने थाने पर शिकायत किया था पुलिस द्वारा रास्ता खुलवाया गया और थाने में वादी व प्रार्थीं के मध्य सुलह भी हो गयी थी। लेकिन परिवादिनी लोगो के बहकावे में आकर रंजिशन यह मुकदमा हरिजन होने के नाते हरिजन का लाभ लेने हेतु यह मुकदमा श्रीमान् जी के समक्ष यह परिवाद दाखिल किया गया था। घटना में गांव का कोई स्वतंत्र साक्षी गवाह नही है बल्कि पी०डब्लू0-2 गवाह विनोद सिंह दूसरे गांव जिला रायबरेली का रहने वाला है उक्त झूठा व फर्जी गवाह बनाया गया है और विनोद सिंह पेशेवर गवाह है। प्रार्थीं का आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थीं द्वारा न तो प्रार्थिनी को मारा पीटा गया है और न ही उसके साथ छेड़खानी की गयी है और न ही परिवादिनी को प्रार्थीं द्वारा कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थी यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है इसके अलावां अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न ही दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी जमानत से छूटने के बाद न तो कहीं भागेगें और न ही गवाह सबूत पर बेजा असर डालेगें तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर बराबर हाजिर अदालत आते रहेगें। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है, कि ता-फैसला मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादिनी पर नोटिस तामील है। वादिनी की तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त परिवाद में तबल किया गया है। यद्यपि अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मनीष की ओर से परिवाद सं.- 114/2022, धारा- 323,504,506,354 भा.दं.सं., धारा- 3(1)द ध एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना मौरावां जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्ता द्वारा 20,000/- (बीस हजार रूपये) का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दि. 04.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।